पी०बी० कृष्णाकुट्टे नैयर

बनाम

क्षेत्रीय डायरेक्टर ESI CORPN. और अन्य

[सिविल अपील न. 6497/2001]

07 मार्च 2008

(तरूण चटर्जी एवं हरजीत सिंह बेदी जे.जे.)

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 - एसएस.2(9), 2(14) और 46 - विकलांगता लाभ के लिए दावा - पात्रता - अपीलकर्ता एक कर्मचारी नहीं रहा। 1 अक्टूबर, 1989 को उनका मासिक वेतन रु. 1600/- ऐसी तारीख से - हालाँकि चूँकि उन्होंने 1 अप्रैल, 1989 से 30 सितंबर, 1989 की अवधि के लिए अपने बीमा के लिए योगदान दिया था, उनकी योगदान अवधि 30 जून, 1990 को समाप्त होनी थी - अपीलकर्ता की 15 जून, 1990 को दुर्घटना हो गई और वह चोटग्रस्त हो गया था - अधिनियम के तहत विकलांगता लाभ के लिए अपीलकर्ता द्वारा दावा - की वैधता - माना गया: तर्कसंगत नहीं - चूंकि चोट अपीलकर्ता के कर्मचारी नहीं रहते हुए लगी थी, इसलिए वह विकलांगता के किसी भी लाभ का हकदार नहीं होगा। तथ्य यह है कि उनकी योगदान अवधि और एक बीमित व्यक्ति के रूप में उनकी स्थिति 30 जून, 1990 तक जारी रही।

प्रासंगिक समय पर कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के तहत निर्धारित कट-ऑफ वेतन 1600/- रुपये प्रति माह था। अपीलकर्ता दिनांक 01.07.2019 से कर्मचारी नहीं रहा। 1 अक्टूबर, 1989 को उनका मासिक वेतन 1600/- रुपये से अधिक

हो गया। हालाँकि, चूँकि उन्होंने 1 अप्रैल, 1989 से 30 सितंबर, 1989 की अवधि के लिए अपने बीमा के लिए योगदान दिया था, उनकी योगदान अवधि 30 जून, 1990 को समाप्त होनी थी।

अपीलकर्ता के साथ 15 जून, 1990 को एक दुर्घटना हो गई और उसे चोटें आई उन्होंने ऐसी चोटों के कारण अधिनियम के तहत विकलांगता का लाभ पाने का अधिकार होने का दावा किया। प्रतिवादी-ईएस निगम ने इस आधार पर विकलांगता लाभ के दावे का विरोध किया कि अपीलकर्ता 1 अक्टूबर, 1989 से कर्मचारी नहीं रहा, लेकिन अपीलकर्ता को 16 जून, 1990 से 30 जून, 1990 की अवधि के लिए बीमारी लाभ दिया गया। अपीलकर्ता ने कर्मचारियों के समक्ष आवेदन दायर किया बीमा न्यायालय अधिनियम के तहत विकलांगता लाभ की मांग कर रहा था जिसे अनुमति दी गई थी। प्रतिवादी-ईएसआई निगम ने आदेश के खिलाफ अपील दायर की। उच्च न्यायालय ने अपील की अनुमति देते हुए कहा कि चूंकि दुर्घटना दावेदार-अपीलकर्ता के कर्मचारी नहीं रहने के बाद हुई थी, हालांकि योगदान अवधि के दौरान, वह किसी भी विकलांगता लाभ का हकदार नहीं था।

इसलिए न्यायालय ने अपील को खारिज किया।

अभिनिर्धारित: दोनों विरोधी पक्षों के बीच एकमात्र अंतर योगदान अवधि के महत्व के संबंध में है जो 30 जून,1990 को समाप्त होनी थी। यह निर्धारित करने के लिए कि क्या कोई कर्मचारी अधिनियम के तहत लाभ का हकदार था, इसके संदर्भ में कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 46(सी) है जो विशेष रूप से इसकी प्रयोज्यता के लिए दो संचयी शर्तों का प्रावधान करती है, i) दावेदार को एक बीमाकृत व्यक्ति होना चाहिए और ii) जब वह कर्मचारी था तब ऐसी चोट लगी होनी चाहिए। वर्तमान मामले में चूंकि दावेदार को कर्मचारी नहीं रहने के बाद चोट लगी थी, वह इस

तथ्य के बावजूद विकलांगता के किसी भी लाभ का हकदार नहीं होगा कि उसकी योगदान अवधि और एक बीमाकृत व्यक्ति के रूप में उसकी स्थिति 30 जून,1990 तक जारी रही। (पैरा 7)(498-एफ, जी,एच; 499-A)

सिविल अपील का क्षैत्राधिकार : सिविल अपील संख्या 6497/2001

एम.एफ.ए. 1992 की संख्या 169 में केरल उच्च न्यायालय, एर्नाकुलम के अंतिम और आदेश दिनांक 28.02.2000 से।

सी.जयराज और मालिनी पोडुवल- अपीलार्थीगण।

सी.एस. राजन फ्रेन्सिस और अनुपम मिश्रा- प्रत्यर्थीगण।

न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया था:

हरजीत सिंह बेदी, जे.

1. यह अपील निम्नलिखित तथ्यों पर आधारित है।

2. अपीलकर्ता जो ईएसआई योजना के तहत कवर किया गया कर्मचारी था, 15 जून, 1990 को अपने रोजगार के दौरान एक दुर्घटना का शिकार हो गया। वर्तमान अपील में नियोक्ता प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा प्रतिवादी निगम को एक दुर्घटना रिपोर्ट भेजी गई थी। हालाँकि, निगम ने लगी चोटों का इलाज करने से इनकार कर दिया, क्योंकि दुर्घटना के दिन कर्मचारी को ईएसआई योजना के तहत कवर नहीं किया गया था। कर्मचारी को 4 दिसंबर, 1990 को एक संचार द्वारा यह भी सूचित किया गया था कि वह 1 अक्टूबर, 1989 से कर्मचारी नहीं रह गया है और इसलिए वह विकलांगता के लिए किसी भी लाभ का हकदार नहीं होगा, लेकिन बीमारी के लिए लाभ के लिए पात्र होगा। अवधि 15 जून, 1990 से 30 जून, 1990। इसके बाद कर्मचारी ने कर्मचारी बीमा

न्यायालय, अलाप्पुझा के समक्ष एक आवेदन दायर किया जिसमें उसे लगी चोटों के कारण विकलांगता के लाभ का दावा किया गया। निगम द्वारा दायर जवाबी बयान में, यह बताया गया कि एक बीमित व्यक्ति के रूप में कर्मचारी ने 30 सितंबर, 1989 तक योगदान दिया था और वह 1 अक्टूबर, 1989 से कर्मचारी नहीं रहा क्योंकि उसका वेतन 1600/- रुपये से अधिक हो गया था। - 1 अक्टूबर, 1989 से प्रति माह और इस तरह विकलांगता के लिए किसी भी लाभ का हकदार नहीं था। कर्मचारी बीमा न्यायालय ने 14 नवंबर, 1991 के अपने आदेश में कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (इसके बाद इसे "अधिनियम" कहा जाएगा) के विभिन्न प्रावधानों और विशेष रूप से धारा 2(9) के तहत 'कर्मचारी' और बीमित व्यक्ति' की परिभाषा की जांच की।) और 2(14) क्रमशः और साथ ही धारा 46 जो 'लाभों' से संबंधित थी और अंततः निष्कर्ष निकाला कि यद्यपि दावेदार 30 सितंबर, 1989 से कर्मचारी नहीं रहा। फिर भी वह धारा 1 के संदर्भ में एक "बीमाकृत व्यक्ति" था। 1 अप्रैल, 1989 से 30 सितंबर 1989 तक के उनके मामले को कवर किया जाएगा, हालांकि वह 30 जून, 1990 तक एक बीमाकृत व्यक्ति बने रहे और इस तरह 15 जून को चोट के लिए उनका दावा अधिनियम के तहत पूरी तरह से उचित था।

3. कर्मचारी बीमा न्यायालय के आदेश से व्यथित होकर, निगम ने केरल उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की। उच्च न्यायालय ने 28 फरवरी 2000 को अपने फैसले में कहा कि मामले के तथ्य विवादित नहीं थे और एमएफए 621/1986 (क्षेत्रीय निदेशक, ईएसआई निगम बनाम के.के.सुरेंद्र बाबू) में उसी अदालत की डिवीजन बेंच के फैसले पर निर्भर थे। देखा गया कि यदि कोई व्यक्ति किसी विशेष योगदान अवधि के दौरान कर्मचारी नहीं था और ऐसी अवधि के दौरान कोई दुर्घटना हुई थी, तो वह ईएसआई लाभ का हकदार नहीं होगा। उपरोक्त के आधार पर, अदालत ने आगे निष्कर्ष निकाला कि चूंकि वर्तमान मामले में दुर्घटना भी दावेदार के कर्मचारी नहीं रहने

के बाद हुई थी, हालांकि योगदान अवधि के भीतर, वह निगम से बीमा भुगतान के लाभ का हकदार नहीं था। . तदनुसार अपील की अनुमति दी गई और कर्मचारी बीमा न्यायालय के 14 नवंबर, 1991 के आदेश को रद्द कर दिया गया। इस स्थिति में कर्मचारी के अनुरोध पर मामला अपील में हमारे सामने है।

4. कुछ तथ्य रिकॉर्ड में स्वीकार किए गए हैं: दुर्घटना की तारीख 15 जून 1990, और योगदान 1 अप्रैल, 1989 से 30 सितंबर, 1989 की अवधि के लिए किया गया था, जिससे योगदान अवधि 30 जून, 1990 हो गई। इन स्वीकृत तथ्यों में, अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने वैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में हमारे सामने कई तर्क रखे हैं। उन्होंने हमें अधिनियम की धारा 2(9) में 'कर्मचारी' की परिभाषा और अधिनियम की धारा 2 (14) में 'बीमाकृत व्यक्ति' और धारा 46 का उल्लेख किया है जो किसी मामले में बीमित व्यक्ति के लिए लाभों के बारे में बात करता है। चोट या बीमारी के कारण, और तर्क दिया है कि चूंकि दावेदार योगदान अवधि के अंत तक यानी 30 जून, 1990 तक एक बीमाकृत व्यक्ति था, दुर्घटना उसी अवधि के भीतर हुई थी, निगम उसे भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था। विरोध में विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी ने तर्क दिया है कि बीमा का भुगतान प्राप्त करने के लिए अधिनियम में अनिवार्य शर्त यह थी कि एक व्यक्ति को दुर्घटना की तारीख को कर्मचारी होना आवश्यक था और दावेदार ने स्वीकार किया था कि वह 01 अक्टूबर 1989 से कर्मचारी नहीं रहा है। 1 अक्टूबर, 1989 से प्रभावी और इस प्रकार, वह किसी भी विकलांगता लाभ के भुगतान का हकदार नहीं था।

5. सबसे पहले, हम यह बता सकते हैं कि डिविजन बेंच ने जिस निर्णय पर आक्षेपित निर्णय तक पहुंचने में भरोसा किया था, उसका उल्लेख किसी भी वकील द्वारा

हमारे सामने नहीं किया गया है। इसलिए, हमें उन मामलों में डिवीजन बेंच के विवेक का लाभ नहीं मिला और हमने तदनुसार मामले की स्वयं जांच की है।

6. मामला विद्वान अधिवक्ता द्वारा हमारे संज्ञान में लाए गए विभिन्न प्रावधानों पर निर्भर होना चाहिए। हम यहां प्रस्तुत करते हैं। अधिनियम की धारा 2(9), 2(14) और धारा 46: "धारा 2(9) "कर्मचारी" का अर्थ है किसी कारखाने या प्रतिष्ठान के काम में या उसके संबंध में मजदूरी के लिए नियोजित कोई भी व्यक्ति, जिस पर यह अधिनियम लागू होता है और

(i) जिसे मुख्य नियोक्ता द्वारा कारखाने या प्रतिष्ठान के किसी भी काम पर, या उसके आकस्मिक या प्रारंभिक या उससे जुड़े काम पर सीधे नियोजित किया गया हो, चाहे ऐसा काम कर्मचारी द्वारा कारखाने या प्रतिष्ठान में या कहीं और किया गया हो; या

(ii) जो किसी तत्काल नियोक्ता द्वारा या उसके माध्यम से कारखाने या प्रतिष्ठान के परिसर में या प्रमुख नियोक्ता या उसके एजेंट की देखरेख में ऐसे काम पर नियोजित किया जाता है जो सामान्यतः कारखाने या प्रतिष्ठान के काम का हिस्सा है या जो है कारखाने या प्रतिष्ठान के प्रयोजन के लिए किए गए प्रारंभिक या आनुषंगिक कार्य; या

(iii) जिसकी सेवाएं मुख्य नियोक्ता को उस व्यक्ति द्वारा अस्थायी रूप से उधार दी गई हैं या किराए पर दी गई हैं, जिसके साथ उस व्यक्ति ने सेवा का अनुबंध किया है, जिसकी सेवाएं इस प्रकार उधार ली गई हैं या किराए पर दी गई हैं;

धारा 2(14) "बीमाकृत व्यक्ति" का अर्थ एक ऐसा व्यक्ति है जो एक कर्मचारी है या था जिसके संबंध में इस अधिनियम के तहत योगदान देय हैं या थे और जो इस कारण से, इस अधिनियम द्वारा प्रदान किए गए किसी भी लाभ का हकदार है।

धारा 46.लाभ. -(1) अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, बीमित व्यक्ति [उनके आश्रित या इसके बाद उल्लिखित व्यक्ति, जैसा भी मामला हो], साधारणतः निम्नलिखित लाभों के हकदार होंगे-

(ए) किसी भी बीमित व्यक्ति को उसकी बीमारी के मामले में आवधिक भुगतान, जो विधिवत नियुक्त चिकित्सक द्वारा प्रमाणित हो [या ऐसी योग्यता और अनुभव रखने वाले किसी व्यक्ति द्वारा, जो निगम, नियमों द्वारा, इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकता है (इसके बाद 'बीमारी के रूप में संदर्भित) फ़ायदा);

(बी) किसी बीमित महिला को प्रसूति या गर्भपात या गर्भावस्था से उत्पन्न बीमारी, प्रसूति के कारण बच्चे का समय से पहले जन्म या गर्भपात के मामले में आवधिक भुगतान, ऐसी महिला को इस संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा ऐसे भुगतान के लिए पात्र होने के लिए प्रमाणित किया जाता है। ·विनियम (इसके बाद मातृत्व लाभ के रूप में संदर्भित)।

(सी) इस अधिनियम के तहत एक कर्मचारी के रूप में चोट के परिणामस्वरूप विकलांगता से पीड़ित एक बीमाकृत व्यक्ति को आवधिक भुगतान और नियमों द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा ऐसे भुगतान के लिए पात्र होने के लिए प्रमाणित किया गया है (इसके बाद संदर्भित किया गया है) विकलांगता लाभ के रूप में);

(डी) इस अधिनियम के तहत एक कर्मचारी के रूप में की चोट के परिणामस्वरूप मरने वाले बीमित व्यक्ति के ऐसे आश्रितों को आवधिक भुगतान, जो इस अधिनियम के तहत मुआवजे के हकदार हैं (इसके बाद आश्रित लाभ के रूप में संदर्भित);

(ई) बीमित व्यक्तियों की उपस्थिति के लिए चिकित्सा उपचार (इसके बाद चिकित्सा लाभ के रूप में संदर्भित किया गया है; और

(एफ) किसी बीमित व्यक्ति के परिवार के सबसे बड़े जीवित सदस्य को, जिसकी मृत्यु हो गई हो, मृत बीमित व्यक्ति के अंतिम संस्कार पर होने वाले खर्च के लिए भुगतान, या, जहां बीमित व्यक्ति का कोई परिवार नहीं था या वह अपने परिवार के साथ नहीं रह रहा था उसकी मृत्यु के समय, उस व्यक्ति को जो वास्तव में मृत बीमित व्यक्ति के अंतिम संस्कार पर व्यय करता है (जिसे [अंतिम संस्कार व्यय के रूप में जाना जाता है)

बशर्ते कि इस तरह के भुगतान की राशि ऐसी राशि से अधिक नहीं होगी जो केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित की जा सकती है।] और इस तरह के भुगतान के लिए दावा बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु के तीन महीने के भीतर या ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर किया जाएगा जिसकी निगम या उसके द्वारा अधिकृत कोई अधिकारी या प्राधिकरण अनुमति दे सकता है।

(2) निगम, उपयुक्त सरकार के अनुरोध पर, नियमों में निर्धारित शर्तों के अधीन, बीमित व्यक्ति के परिवार को चिकित्सा लाभ प्रदान कर सकता है।"

7. प्रावधानों की जांच से पता चलेगा कि दावेदार 30 सितंबर, 1989 तक एक कर्मचारी था और अगले दिन कर्मचारी नहीं रहा क्योंकि उसका वेतन 1600/- रुपये प्रति माह से अधिक हो गया था जो कि निर्धारित कट-ऑफ वेतन था। स्वीकृत रूप से दावेदार एक बीमाकृत व्यक्ति था और दोनों विरोधी पक्षों के बीच एकमात्र अंतर योगदान अवधि के महत्व के संबंध में है जो 30 जून, 1990 को समाप्त होनी थी। यह निर्धारित करने के लिए कि क्या कोई कर्मचारी लाभ का हकदार था अधिनियम में, धारा 46(सी) का संदर्भ दिया जाना चाहिए जो वर्तमान मामले को कवर करेगा। धारा 46(सी) विशेष

रूप से इसकी प्रयोज्यता के लिए दो संचयी शर्तों का प्रावधान करती है- i) दावेदार को एक बीमाकृत व्यक्ति होना चाहिए और ii) कि ऐसा चोट तब लगी होगी जब वह कर्मचारी था। इसलिए हम पाते हैं कि चूंकि दावेदार के कर्मचारी न रहने के बाद चोट लगी थी, इसलिए वह इस तथ्य के बावजूद विकलांगता के किसी भी लाभ का हकदार नहीं होगा कि उसकी योगदान अवधि और एक बीमाकृत व्यक्ति के रूप में उसकी स्थिति 30 जून, 1990 तक जारी रही। निगम को यह बताते हुए कष्ट हो रहा है कि दावेदार को मिलने वाले कुछ लाभ जैसे कि बीमारी का लाभ उसे पहले ही दिया जा चुका है। हस्तगत प्रकरण को देखते हुए, अपील में कोई सार नहीं पाया जाता है। अपील खारिज की जाती है। कोई हर्जा खर्चा देय नहीं होगा।

अपील खारिज।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी भावना भार्गव (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।